दिनांक 03.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद भदोही/थाना ऊंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 02/03.02.2025 को थाना ऊंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वहीदा नगर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आंशु घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना ऊंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ऊंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आंशू निवासी सराय जगदीश थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

बरामदगी

1–चोरी की 01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद रामपुर/थाना स्वार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.02.2025 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुंशीगंज तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बोबी उर्फ सर्वेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना स्वार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना स्वार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बोबी उर्फ सर्वेन्द्र निवासी इखौना थाना ढोलना जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.02.2025 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–62 गोल चक्कर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सेक्टर–58 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी बोकारो खुद थाना पताही जनपद पूर्वी चंपारण बिहार।

जनपद बरेली/थाना भोजीपुरा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 05 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 03.02.2025 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिलवा पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–राहुल 2–अभिषेक 3–आदित्य को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 05 मोबाइल फोन, चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.02.2025 को थाना भोजीपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोजीपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन, मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं

अभियुक्त अभिषेक व आदित्य के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भोजीपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राहुल निवासी ग्राम गेम थाना हाफिजगंज जनपद बरेली, हालपता बडी बिहार नगला थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

2–अभिषेक निवासी बडी बिहार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

3–आदित्य निवासी बनूवाल फेस 2 थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 05 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 02 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

<u>जनपद बदायूँ/थाना मुजरिया</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/धोखाधड़ी के माल बिक्री के 14 लाख रूपये नगद**
- **लूट/धोखाधड़ी के 293 टीन डायमण्ड रिफाइंड भरे/खाली**
- **01 ट्रक, 01 टोयोटा/अरबन क्रूसर कार आदि बरामद**

दिनांक 03.02.2025 को थाना मुजरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–सरबजीत 2–पलविन्दर 3–मनीष 4–रितिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/धोखाधड़ी के माल बिक्री के 14 लाख रूपये नगद, लूट/धोखाधड़ी के 293 टीन डायमण्ड रिफाइंड भरे/खाली, 01 ट्रक, 01 टोयोटा/अरबन क्रूसर कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22/23.01.2025 को थाना मुजरिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुजरिया पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रिफाइंड, रूपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त मनीष शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बदायूँ, खीरी के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मुजरिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सरबजीत निवासी गली नं0—15 स्वरूप नगर दिल्ली।

2—पलविन्दर निवासी कस्बा व थाना मैंगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी।

3—मनीष निवासी कस्बा व थाना गोलागकरण नार्थ जनपद खीरी।

4—रितिक निवासी कस्बा व थाना गोलाकरण नार्थ जनपद खीरी।

बरामदगी

1—लूट/धोखाधड़ी के माल बिक्री के 14 लाख रूपये नगद।

2—लूट/धोखाधड़ी के 293 टीन डायमण्ड रिफाइंड भरे/खाली।

3—01 ट्रक, 01 टोयोटा/अरबन क्रूसर कार आदि।

जनपद इटावा/थाना बसरेहर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 12 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 आयशर ट्रक बरामद**

दिनांक 03.02.2025 को थाना बसरेहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पत्तापुरा अयारा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 03

अभियुक्तों 1–रंजीत 2–सोनू 3–तेजप्रताप उर्फ आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 12 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा, 01 आयशर ट्रक बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त रंजीत के विरूद्ध जनपद औरैया, इटावा के विभिन्न थानो में एनडीपीएस एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बसरेहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रंजीत निवासी नन्दपुर थाना कुदरकोट जनपद औरैया।

2–सोनू निवासी देवीगंज थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

3–तेजप्रताप उर्फ आशीष निवासी असैंधी थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 12 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 आयशर ट्रक।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **52 कुन्तल अवैध भांग**
- **01 डीसीएम वाहन बरामद**

दिनांक 03.02.2025 को थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किशुनपुर मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–प्रदीप कुमार 2–शीलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 52 कुन्तल अवैध भांग, 01 डीसीएम वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रदीप कुमार निवासी रमनगरा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

2—शीलू निवासी रमनगरा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—52 कुन्तल अवैध भांग।

2—01 डीसीएम वाहन।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना लाइनपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 60—60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना लाइनपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/364/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—ओमवीर 2—सत्यवीर को आजीवन कारावास व 60—60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना नैमिषारण्य (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना नैमिषारण्य पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिलीप को 10 वर्ष के कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफ–घूमन्तु अपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं जनपद गाजियाबाद से रू0 50,000/– तथा फगवाडा, पंजाब से रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सूरज पारदी गिरफ्तार।

दिनांक 02–02–2025 को उत्तर प्रदेश एसटीएफ को घूमन्तु अपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं थाना लोनी बार्डर, जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 16/24 में रू0 50 हजार तथा थाना कोतवाली सिटी फगवाडा, पंजाब में पंजीकृत मु0अ0सं0 126/24 में रूपये 50 हजार के ईनामी अपराधी सूरज पारदी सूरज पारदी को गाजियाबाद गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

सूरज पारदी पुत्र कैलाश पारदी निवासी ग्राम सेवड़ा धौरागढ़ फाटक, थाना सुभाषपुरा जनपद गुना मध्य प्रदेश।

बरामदगीः

1– 01 अदद धातू का सिक्का (जो अभियोग से सम्बन्धित है)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

दिनाँक 02–02–2024, समय 22.30 बजे, टीला शाहबाजपुर वाले रास्ते पर पाईपलाइन रोड के पास थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद क्षेत्र।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश द्वारा घूमन्तु अपराधिक गिरोह के वांछित एवं ईनामी अपराधियों के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्र की जा रही थी। ऐसे अपराधियों द्वारा उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपराधिक घटनाएं करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एवं उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 02–02–2025 को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूचना के माध्यम से एसटीएफ गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि घुमन्तू अपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411 भादवि के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी सूरज पारदी, लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद क्षेत्र में आया हुआ है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभियुक्त सूरज पारदी, उपरोक्त को उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पारदी ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलरूप से ग्राम सेवडा थाना सुभाषपुरा, जनपद गुना (मध्य प्रदेश) का रहने वाला है। बताया कि हमारे गैग के सदस्य देश भर में घूम–घूमकर शहरों में डेरे डालकर रहते है और इस गिरोह के लोग रात में मकानों की ग्रिल काटकर तथा दुकानो के शटर तोडकर चोरी की वारदात करते हैं। जाग हो जाने अथवा विरोध होने पर हमला करके गृह स्वामियों को घायल भी कर देते है। वारदात करने के पश्चात एक स्थान से दूसरे शहर में चले जाते है। वह 9–10 साल का था तो उसने लोगों की जेब काटना सीख लिया था और सबसे पहले वह चोरी की साईकिल के केस में मध्य प्रदेश से जेल गया था। उसने लॉकडाउन से पहले 700 ग्राम पीतल पर सोने का पानी करवाकर एक सुनार को 07 लाख रूपये में बेच दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सुभाषपुरा मध्य प्रदेश पर मु0अ0सं0 17/23 धारा 420/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वह जेल गया था। वर्ष–2020 में वह कच्ची शराब बनाने के सम्बन्ध में थाना सुभाषपुरा मध्य प्रदेश पर मु0अ0सं0 65/20 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज हुआ था। जिसमें जेल गया था। वर्ष–2020 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के सुभाषपुरा क्षेत्र में एक किराने की दुकान के शटर को तोडकर चोरी की घटना का अंजाम दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सुभाषपुरा, मध्य प्रदेश में मु0अ0सं0 34/20 धारा 457/511 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, इस अभियोग में भी जेल गया था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10–01–2024 को घूमन्तु अपराधिक गिरोह के लोगो द्वारा थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद में बेहटा स्थित सन्टू, सोनू, ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखे जेवरात की चोरी कर लिया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 16/24 धारा 457, 380, 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसी अभियोग में अभियुक्त सूरज पारदी उपरोक्त वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 18–05–2024 को रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। उल्लेखीय है कि एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट द्वारा इस अभियोग में शामिल अभियुक्त कोहिनूर पुत्र धर्म सिंह को दिनांक 01–05–2024 को तथा अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू को दिनांक 13–11–2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त सूरज पारदी ने यह भी बताया कि उसने अपने साथी रोहित पुत्र बबलू एवं खलनायक पुत्र बादल तथा बलदीप के साथ मिलकर वर्ष–2024 में जून के महीने में पंजाब राज्य के फगवाड़ा क्षेत्र में एक सर्राफा की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, इस घटना के सम्बन्ध में थाना फगवाडा, पंजाब में मु0अ0सं0 126/24 धारा 454, 380, 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटना के सम्बन्ध में पंजाब पुलिस द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज जारी किया गया था एवं घटना में शामिल अभियुक्तों पर रू0 50 हजार ईनाम घोषित किया गया था। इस अभियोग में भी अभियुक्त सूरज पारदी वांछित चल रहा था। साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि इस अपराधिक गिरोह द्वारा पिछले वर्ष पंजाब, राजस्थान, दिल्ली–एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर शटर तोडकर व घरों में नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त सूरज पारदी के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	24/20	420/34 भादवि	सुभाषपुरा	शिवपुरी मध्य प्रदेश
2	25/20	25/27 आर्म्स एक्ट	सुभाषपुरा	शिवपुरी मध्य प्रदेश

3	34/20	457/511 भादवि	सुभाषपुरा	शिवपुरी मध्य प्रदेश
4	64/20	457/380 भादवि	सुभाषपुरा	शिवपुरी मध्य प्रदेश
5	65/20	34(2) आबकारी अधिनियम	सुभाषपुरा	शिवपुरी मध्य प्रदेश
6	17/23	420/120बी भादवि	सुभाषपुरा	शिवपुरी मध्य प्रदेश
7	16/24	457/380/411 भादवि	लोनी बार्डर	गाजियाबाद
8	126/24	457/380/411 भादवि	फगवाडा	पंजाब राज्य

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पारदी, उपरोक्त को थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद के मु0अ0सं0 16/24 धारा 380, 457, 411 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————